

कार्यालय: मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

पत्रांक ३४४ /अगि०/निःस०/2019-20

दिनांक २६ अगस्त ,2019

अल्पकालीन-ई निविदा सूचना

उपाध्यक्ष एम०डी०डी०ए०, देहरादून द्वारा लेबर वर्क हेतु प्रति स्ट्रीट लाईट (एम० एस० कनैक्शन बाक्स नट सहित, 15 एम्पीयर स्वीच पावर कोटेड बाक्स सहित फिकिसंग, कनैक्शन वायर 8 मी० से 10 मीटर फिकिसंग नई स्ट्रीट लाईट फिकिसंग) का कार्य एक वर्ष के लिये प्राधिकरण में पंजीकृत/नवीनीकरण फर्मो (अनुभवी, प्रतिष्ठित, आयकर एवं जी०एस०टी०) से नीचे वर्णित कार्य को करने हेतु अल्पकालीन ई निविदा दिनांक 21.08.2019 को अपरान्ह 2.00 बजे तक बेबसाईट www.uktenders.gov.in पर अपलोड कर सकते हैं। जो उसी दिन सांय 3.00 बजे निविदा समिति द्वारा खोली जायेगी। विस्तृत जानकारी एवं कार्य का विवरण सहित सभी नियम एवं शर्तें उक्त बेबसाईट पर उपलब्ध हैं।

क०स०	कार्य का नाम	आगणन राशि प्रति लाईट समर्त कर सहित	धरोहर राशि रु०	कार्य की अवधि	निविदा की वैधता
1	लेबर वर्क हेतु प्रति स्ट्रीट लाईट (एम०एस०) कनैक्शन बाक्स नट सहित, 15 एम्पीयर स्वीच पावर कोटेड बाक्स सहित फिकिसंग, कनैक्शन वायर 8 मी० से 10 मीटर फिकिसंग नई स्ट्रीट लाईट फिकिसंग) का कार्य एक वर्ष तक के लिये।	1020.00	1,00,000.00	एक वर्ष	90 दिन

निविदा हेतु आवश्यक शर्तें

1- निविदा फार्म ओन लाईन जी०एस०टी० सहित रु० 1180/- की धनराशि का पेआर्डर, जो सचिव, एम०डी०डी०ए० के पक्ष में हो तथा दिनांक 21.08.2019 के बाद का ना हो तथा निर्धारित धरोहर राशि, जो अधीक्षण अभियन्ता के नाम पर बन्धक हो, को निविदा प्ररताव के साथ अपलोड करने के उपरान्त मूल प्रति नियत तिथि एवं समय से पूर्व अभियन्त्रण अनुभाग में जमा करानी होगी। उसके उपरान्त ही निविदा खोली जायेगी।

2- निविदा दाता पूर्व से प्राधिकरण में अभियन्त्रण (विधुतीकरण) कार्य से संबंधित कार्य करने संबंधी फर्मो द्वारा ही उक्त कार्य को करने हेतु प्रतिभाग किया जायेगा।

3- निविदादाता फर्म का प्राधिकरण में वर्तमान वित्तीय वर्ष में पंजीकरण/नवीनीकरण होना अनिवार्य है।

अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

देहरादून।

प्रतिलिपि :— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आ० का० हेतु।

1- सचिव, म०दे०वि०प्रा०देहरादून।

2- मुख्य लेखाधिकारी, म०दे०वि०प्रा०, देहरादून।

3- नगर निगम/लोक निर्माण विभाग/जिला परिषद/सिंचाई विभाग के नोटिस बोर्ड हेतु।

4- नाजिर म०दे०वि०प्रा० को इस आशय से प्रेषित व दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराकर अखबार की प्रति इस अनुभाग को उपलब्ध करायें।

5- सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को इस आशय से कि उक्त विज्ञप्ति को प्राधिकरण की बेबसाईट पर अपलोड करायें।

6- प्राधिकरण बोर्ड पर चर्चा हेतु।

7- संबंधित पत्रावली पर संलग्न करने हेतु।

अधीक्षण अभियन्ता,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

देहरादून।